

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2014/पौष 20, 1935

No. 12]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2014/PAUSHA 20, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2014

सं. 01/2014-सेवाकर

सा. का. नि. 15(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 की 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25 /2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 सा.का.नि.185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में और आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा :—

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, प्रविष्टि 11 में, खंड (क) में, "जिला, राज्य, या जोन" शब्दों के स्थान पर "जिला, राज्य, जोन या देश" शब्द रखे जायेंगे।

[फा. सं. 354/21/2013-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 25 /2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012, सा.का.नि. 467(अ) दिनांक 20 जून, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 14/2013-सेवा कर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I) द्वारा के किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2014

No. 01/2014 - Service Tax

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 467(E), dated the 20th June, 2012, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph, in entry 11, in item (a), for the words “district, State or zone”, the words “district, State, zone or Country” shall be substituted.

[F. No. 354 /21/ 2013-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 25/2012-Service Tax, dated 20th June, 2012, *vide* G.S.R. 467(E), dated the 20th June, 2012 and was last amended by notification No.14/2013-Service Tax, dated the 22nd October, 2013 *vide* G.S.R. 699(E), dated the 22nd October, 2013.